श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2018 को सीतामढ़ी जिले के नगर निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी/नगर प्रबंधक तथा बिहार राज्य जल पर्षद् के अभियंताओं के साथ सीतामढ़ी में आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति–पंजी के अनुसार

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.09.2018 को सीतामढ़ी नगर परिषद् क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सीतामढ़ी जिले के सभी नगर निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक एवं बिहार राज्य जल पर्षद् के अभियंताओं के साथ विभागीय योजनाओं यथा–सबके लिए आवास (शहरी) योजना, शौचालय निर्माण योजना मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय येजना, NULM योजना, बुडको एवं बिहार राज्य जल पर्षद् द्वारा कार्यान्वित योजनाओं आदि की समीक्षा की गयी। बैठक में निम्न निर्देश दिये गये :–

बिहार राज्य जल पर्षद् की द्वारा कार्यान्वित योजना :–

- कार्यपालक अभियंता, बी0आर0जे0पी0 द्वारा सीतामढ़ी नगर परिषद् के सभी 28 वार्डों में पेयजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति के बारे में बताया गया कि राज्य योजना अंतर्गत 04 वाटर टॉवर एवं 04 बोरवेल में 03 वाटर टॉवर एवं तीन बोरवेल के द्वारा पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गयी है। एक वाटर टॉवर एवं बोरवेल के लिए विद्युतीकरण का कार्य शेष होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। निदेश दिया गया है कि विद्युतीकरण में आ रही बाधाओं को दिनांक 20.09.2018 तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं जिला प्रशासन, सीतामढ़ी के साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र उक्त वाटर टॉवर से पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ करवाई जाय।
- पेयजल आपूर्ति की निर्बाध निरंतरता बनाए रखने के संबंध में नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि समयबद्ध रूप से O&M कार्य के लिए सभी आवश्यक एवं आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जाए तथा Service level के संबंध में BRJP के अभियंताओं के साथ बैठक कर एक मानक निर्धारित करें तथा संबंधित Check list की प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- राज्य योजना अंतर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु पाईप लाइन बिछाए जाने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि नगर परिषद, सीतामढ़ी क्षेत्रांतर्गत प्रथम चरण में कुल 56 कि0मी0 पाईपलाईन बिछाया जा चुका है तथा इसके द्वारा 3500 हाउस होल्ड को पेयजल आपूर्ति हेतु संबद्ध किया गया है। द्वितीय चरण में 10,000 (दस हजार) हाउस होल्ड को संबद्ध करने हेतु दिनांक 17.09.2018 को टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।
- प्रथम चरण में संबद्ध किये गये 3500 हाउस होल्ड की सड़कवार सूची अब तक निकाय को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण संबंधित अभियंता को सख्त निर्देश दिया गया कि दिनांक 20.09.2018 तक संबंद्ध किये हाउस होल्ड की सूची सड़कवार तैयार करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी नगर परिषद् को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- वाटर टॉवर के माध्यम से जलापूर्ति की समय सारणी के संबंध में पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि पूरे दिन में कुल 02 घंटे ही पानी की आपूर्ति वाटर टॉवर से की जा रही है। अत्यंत अल्प समय के लिए की जा रही जलापूर्ति के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया, जिसमें जलापूर्ति से संबंधित सभी तथ्यों का विवरण यथा–मानक डिजाईन में प्रावधान, वाटर टॉवर के रूप में Extra storage का औचित्य तथा 24 घंटे जलापूर्ति व्यवस्था बनाए रखने में क्या बाधाएँ हैं और उसके निराकरण आदि रहे।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी द्वारा जलापूर्ति पाईपलाईन के अधिष्ठापन के उपरांत टुट गयी सड़कों की मरम्मति नहीं किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गय है कि आगामी दुर्गापूजा को ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर तक सभी टूटी सड़कों की मरम्मति सुनिश्चित करायी जाय।
- पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं के प्रगति की सतत् समीक्षा हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सप्ताहिक रूप से सभी संबंधित संवेदकों/प्रतिनिधि एवं BRJP के अभियंताओं के साथ बैठक कर कार्य का समन्वय करने का निर्देश दिया गया।

<u>हर घर नल का जल निश्चय योजना</u> :-

- हर घर नल का जल योजना अंतर्गत सीतामढ़ी जिले के सभी नगर निकयों की निकायावार समीक्षा की गयी तथा निकायवार निर्धारित लक्ष्य की ससमय प्राप्ति की दिशा में नियमित समीक्षा करते हुए निविदा के प्रावधानों के अनुरूप कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया।
- बैरगनिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा वर्षा ऋतु में जल भराव के कारण बोरिंग एवं पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य बाधित रहने की सूचना दी गयी। उन्हे जलजमाव की निकासी कर सभी कार्यों का ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
- बेलसंड नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 13 वार्डों में से 08 वार्डों में कार्य प्रारंभ है तथा शेष के लिए निविदा प्रक्रिया रद्द हो गयी थी, जिसके लिए पुनर्निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पायी है। इन्होने बोर्ड एवं कर्मचारियों के मध्य आंतरिक विवाद के कारण आ रही समस्याओं से अवगत कराया। निदेश दिया गया कि श्री भरत झा, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से समन्वय कर सभी प्रकार के विवादों को अतिशीघ्र दूर कर हर घर नल का जल निश्चय योजना के कार्यों को प्रारंभ करवाया जाए। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गयाा कि विवाद का कारण यदि विगत IHSDP योजनांतर्गत अपूर्ण कार्य विषयवस्तु है तो चूँकि IHSDP योजना समाप्त की जा चुकी है। अतः इस योजनाअंतर्गत किसी भी अपूर्ण कार्य के संबंध में राशि का व्यय नहीं किया जाएगा तथा अपूर्ण एवं आवश्यक योजनाओं का भौतिक सत्यापन करवाते हुए नये सिरे से चालु सुसंगत योजनाओं से नियमानुकुल कार्य पूर्ण किया जा सकता है।
- डुमरा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अब तक 11 वार्डों में से 08 वार्डों में कार्य जारी रहने एवं 500 हाउस होल्ड कनेक्शन की जानकारी दी गयी। साथ ही अक्टूबर 2018 के अंत तक सभी निर्धारित हाउस होल्ड कनेक्शनों का कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। निदेश दिया गया कि शीघ्र शेष वार्डों में निविदा अनुरूप कार्य प्रारंभ करवाया जाए तथा ससमय लक्ष्य की प्राप्ति की जाय।
- जनकपुर रोड नगर पंचायत के कर्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 02 वार्ड लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग के वाटर टॉवर एवं पंप के माध्यम से आच्छादित है, जबकि शेष में निश्चय योजनांतर्गत जल की आपूर्ति की जानी है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि PHED के जिस वाटर टॉवर एवं बोरिंग के द्वारा वार्डों में पेयजल की आपूर्ति की जानी है, उनका प्रयोग तो किया जा सकता है, परंतु सप्लाई पाईप पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है तथा नये सिरे से संपूर्ण पाईप लाईन को बदलने की आवश्यकता है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संपूर्ण वार्डों को निश्चय योजना अंतर्गत ही अच्छादित करने हेतु शेष वार्डों के लिए निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।

<u>स्वच्छ भारत मिशन योजना</u> :-

- ODF के संबंध में सीतामढ़ी जिले के सभी नगर निकायों की निकायवार समीक्षा के क्रम में बेलसंड एवं बैरगनिया नगर पंचायत में ओ0डी0एफ0 प्वाइंट को अविलंब चिन्हित करते हुए आवश्यक कारवाई

करने का निर्देश दिया गया। चूँकि क्यू0सी0आई0 की टीम वहाँ पहुँचने वाली है, उसके पहले सारी व्यवस्था को पूर्ण कर लिया जाय।

- सीतामढ़ी जिले के सभी नगर निकायों में जहॉ भी सामुदायिक अथवा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, उसकी समीक्षा की गयी तथा इस माह के अंत तक सभी कार्यों को पूर्ण करवाने का निर्देश दिया गया।
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के विकल्प के रूप में मोबाईल टॉयलेट के क्रय करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि मात्र स्टील निर्मित मोबाईल टॉयलेट ही जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाएगा। शेष अन्य सामग्रियों से निर्मित मोबाईल टॉयलेट का क्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

<u>सबके लिए आवास योजना</u> :-

- सबके लिए आवास योजना अंतर्गत परामर्शी संस्थाओं द्वारा कराए गये डिमांड सर्वे के आधार पर HFAPoA & AIP के अनुरूप शेष अंतर के संबंध में निकायवार समीक्षा की गयी तथा निदेश दिय गया कि आगामी 02 दिनों के अंदर इस संबंध में विस्तृत विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाए।
- बेलसंड एवं बैरगनिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वृहत अंतर के संबंध में जानकारी देते हुए आगामी 20 दिनों के भीतर आवश्यक करवाई करते हुए विस्तृत प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध मे निर्देश दिया गया कि इस दिशा में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर योजना को पूर्ण करवाया जाए।
- जनकपूर रोड नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सभी लाभुकों को आगामी 22.09.2018 तक कैम्प के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिये जाने की बात कही गयी है।
- डुमरा नगर पंचायत में भी डिमांड गैप के अनुसार लाभुकों की संख्या भेजने का निर्देश दिया गया।

<u>नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना</u> :-

- निकायवार इस योजना अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी तथा इस मद में आवंटित राशि से 3 गुणा तक की योजनाओं का प्राक्कलन बनाकर कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया।

<u>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</u> :-

- डोर-टू-डोर कचड़ा संग्रहण एवं पृथक्करण के संबंध में सभी निकायों को गंभीरता के साथ अनुपालन करने का निदेश दिया गया। इस हेतु Gem Portal के माध्यम से छोटे डस्टबीन के क्रय एवं उसके वितरण की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया।
- सीतामढ़ी जिले के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को आगामी शनिवार दिनांक 15.09.2018 को मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा ठोस आपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कम्पोस्टिंग प्लांट के स्थापना एवं रखरखाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा उक्त अनुरूप अपन-अपने निकायों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया।
- डोर-टू-डोर कुड़ा संग्रहण तथा प्रत्येक वार्ड में कम्पोस्टिंग पिट बनाने का निर्देश सभी निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया गया।

<u>NULM योजना</u> :-

- Day-NULM कार्यक्रम के SUH घटक के अधीन आश्रय स्थलों के संबंध में समीक्षा की गयी। सीतामढ़ी में चलाए जा रहे आश्रय स्थल के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी, जिसपर संतोष व्यक्त किया गया।
- SM&ID घटक के अंतर्गत सभी नगर निकायों की निकायवार समीक्षा की गयी तथा निकायवार स्वयं सहायता समूह तथा उन्हें प्रदान किये गये अर0एफ0 की राशि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये

गये। वैसे निकाय, जहाँ सी0आर0पी0 की सेवायें नहीं प्राप्त की जा रही है, उन्हें नियमानुसार सी0आर0पी0 की सेवायें लेने के संबंध में भी निर्देश दिये गये। विशेष रूप से बैरगनिया नगर पंचायत की प्रगति पर खेद व्यक्त किया गया और आगामी 02 माह के अंदर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। सभी कार्यपालक पदाधिकारी को कम्यूनिटी ऑर्गनाइजर की नियुक्ति यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया।

Out Fall Drainage :-

- सभी निकायों में स्वीकृत Out Fall Drainage के संबंध में समीक्षा की गयी तथा अद्यतन स्थिति के संबंध में समेकित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करवाने का निदेश दिया गया। प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्रांतर्गत आउटफॉल ड्रेनेज का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कारवाई समाप्त की गयी।

17/9/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 4961 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/09/18

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बैरगनिया, बेलसंड, डुमरा एवं जनकपुर रोड/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4961 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 18/09/18

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

17/9/2018

प्रधान सचिव